

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर



क्रमांक-प.1(1)कार्मिक/बो.मी. 232.13/2016/1709

दिनांक :- 24/10/16

कार्यालय आदेश

संचालक मण्डल की 229वीं बैठक दिनांक 27.01.2016 के बिन्दु संख्या 229.13 के निर्णयानुसार तथा नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.10(9)नविवि/II/2010 दिनांक 01.01.2016 एवं पत्र क्रमांक प.10(9)नविवि/राआम/2010 दिनांक 30.08.2016 के अनुसरण में पुनः संचालक मण्डल की 232वीं बैठक दिनांक 20.09.2016 के बिन्दु संख्या 232.13 के निर्णयानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की लेखा सेवा के वरिष्ठ लेखाधिकारी के एक पद को उप वित्तीय सलाहकार के पद पर (पे बैंड 15600-39100 ग्रेड पे 7600) क्रमोन्नत कर, राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति सेवा नियम-2010 के सेक्शन-सी लेखा संवर्ग के नियमों में निम्नानुसार जोड़ा जाता है।

SECTION 'C' ACCOUNTS WING, BOARD SERVICE

S. No	Name of post	Method of Recruitment with percentage	Minimum Qualification & experience for direct recruitment	Post from which promotion is to be made	Minimum Qualification experience required for promotion	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1	Deputy Financial Advisor	50 % by promotion 50 % by deputation from the State Government		Sr. Accounts Officer	5 Years Experience on the post mentioned in Column no.5	

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(शंकर लाल कुमावत)

सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, रा.आ.म., जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वि.स. एवं मुख्य लेखाधिकारी, रा.आ.म., जयपुर।
3. निजी सचिव-मुख्य अभियन्ता-मुख्यालय, I/II, रा.आ.म., जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-..... रा.आ.म.,
5. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-..... रा.आ.म.,
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-..... रा.आ.म.,
7. समस्त प्रकोष्ठ(मु.) रा.आ.म., जयपुर।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक-:प.1(1)कार्मिक / बो.मी. 238.4 / 2019 / 1596

दिनांक :- 16/9/19

कार्यालय आदेश

संचालक मण्डल की 232वीं बैठक दिनांक 20.09.2016 के बिन्दु संख्या 232.13 के निर्णयानुसार राजस्थान आवासन मण्डल की लेखा सेवा के वरिष्ठ लेखाधिकारी के एक पद को उप वित्तीय सलाहकार के पद पर (पे बैण्ड 15600-39100 ग्रेड पे 7600) क्रमोन्नत कर, राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति सेवा नियम-2010 के सेक्शन-सी लेखा संवर्ग के नियमों में कार्यालय आदेश क्रमांक 1709 दिनांक 24.10.2016 से निम्नानुसार जोड़ा गया था :-

SECTION 'C' ACCOUNTS WING, BOARD SERVICE

S. No	Name of post	Method of Recruitment with percentage	Minimum Qualification & experience for direct recruitment	Post from which promotion is to be made	Minimum Qualification experience required for promotion	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1	Deputy Financial Advisor	50 % by promotion 50 % by deputation from the State Government	-	Sr. Accounts Officer	5 Years Experience on the post mentioned in Column no.5	

संचालक मण्डल की 238 वीं बैठक दिनांक 30.08.2019 के बिन्दु सं. 238.4 में उपरोक्त आदेश क्रमांक 1709 दिनांक 24.10.2016 में राज्य सरकार से प्राप्त मार्गदर्शन अनुसार राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप कॉलम सं. 6 में 5 वर्ष के अनुभव के स्थान पर Nil का अंकन करते हुए निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

SECTION 'C' ACCOUNTS WING, BOARD SERVICE

S.No.	Name of post	Method of Recruitment with percentage	Minimum Qualification & experience for direct recruitment	Post from which promotion is to be made	Minimum Qualification experience required for promotion	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1	Deputy Financial Advisor	50% by promotion 50% by deputation from the State Government	-	Sr. Accounts Officer	Nil	-

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राजीव जैन)
सचिव